लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

अति आवश्यक

गौतम नगर, भोपाल 462021

ई–मेल sscholarship.dpi@gmail.com

क्रमांक / समेकित छा. / आह.वि. / 02 / 2019 / 183 भोपाल दिनांक 9.10.19

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर म.प्र.
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत म.प्र.
3. समस्त अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) म.प्र.
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म.प्र.
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.
6. समस्त सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग म.प्र.
7. समस्त जिला समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र म.प्र.
8. समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी म.प्र.

विषयः– समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2018–19 की लंबित छात्रवृत्ति के तृतीय चरण के भुगतान एवं छात्रवृत्ति स्वीकृति से शेष विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृति विषयक।

संदर्भः–लो.शि.सं का पत्र क / समग्र / 31 दिनांक 6.2.19,पत्र कं / 33 दिनांक 7.2.19 एवं पत्र क / 58 दिनांक 20.3.19

––00––

संचालनालय के उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिनके द्वारा वर्ष 2018–19 की छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए गए। थे। समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2018–19 की छात्रवृत्ति लगभग 56 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दो चरणों में वितरित की गई। जिसकी रिपोर्ट शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध है।

1. वर्ष 2018–19 की शेष छात्रवृत्ति स्वीकृतिः–

1.1 कतिपय जिलों द्वारा अवगत कराया गया कि जिला अंतर्गत कुछ विद्यालयों में छात्रवृत्ति स्वीकृति शिक्षा पोर्टल पर परिलक्षित नही हो रही है।

1.2 **वर्ष 2018–19 में छात्रवृत्ति स्वीकृति से शेष रहे विद्यालयों एवं विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाकर लगभग 81 लाख विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृति रिपोर्ट शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध है। अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि जिला अंतर्गत समस्त विद्यालयों में सभी पात्र विद्यार्थियों को शिक्षा पोर्टल पर छात्रवृत्ति स्वीकृत हो चुकी है एवं कोई भी विद्यार्थी छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु शेष नही है। यदि किसी विद्यालय / विद्यार्थी को छात्रवृत्ति स्वीकृति नही हुई है तो उसकी जानकारी दिनांक 11 अक्टूबर 2019 तक ई–मेल sscholarship.dpi@gmail.com पते पर संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।**

2. वर्ष 2018–19 की शेष छात्रवृत्ति भुगतानः–

2.1 प्रथम एवं द्वितीय चरण में विद्यार्थियों के खाते त्रुटिपूर्ण / निष्क्रिय / विसंगतिपूर्ण होने के कारण कुछ विद्यार्थियों को असफल भुगतान की स्थिति निर्मित हुई। जिससे छात्रवृत्ति के राशि विद्यार्थियों के बैंक खाते में अंतरित नही की जा सकी।

2.2 संचालनालय के पत्र दिनांक 20.03.19 द्वारा विद्यार्थियों का त्रृटिपूर्ण बैंक खातों का सत्यापन कर संशोधित खाते शिक्षा पोर्टल पर अपडेट करने हतु निर्देशित किया गया था। जिलों द्वारा संशोधित किए गए बैंक खातों में प्रथम एवं द्वितीय चरण में असफल भुगतान वाले विद्यार्थियों के बैंक खाते में राशि अंतरित की गई है।

2.3 छात्रवृत्ति संबंधित विभागों द्वारा छात्रवृत्ति वितरण के तृतीय चरण में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में लगभग 76 करोड का वंटन उपलबब्ध कराया गया है। उपलब्ध कराए गए वंटन अनुसार सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति (योजना क–1.1 से 1.7), इकलौती बेटी को शिक्षा विकास छात्रवृत्ति (योजना क–1.8), राज्य शासन अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति (योजना क–2. 1,2.1.1,2.1.2) प्री मेट्रिक अजा छात्रवृत्ति (योजना क–2.2)पोस्ट मेट्रिक अजा छात्रवृत्ति (योजना क–2.3) अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति (योजना क–2.5) राज्य शासन अजजा छात्रवृत्ति (योजना क–3.1,3.1.1,3.1.2) प्री मेट्रिक अजजा छात्रवृत्ति (योजना क–3.2) अजजा कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि (योजना क–3.5) राज्य शासन पिछडावर्ग एवं पोस्ट मेट्रिक पिछडावर्ग छात्रवृत्ति (योजना क–5.1, 5.2) एवं निःशक्त जन छात्रवृत्ति (योजना क–8.1) अंतर्गत विद्यार्थियों के बैंक खाते में अंतरित की गई है।

2.4 छात्रवृत्ति वितरण की रिपोर्ट शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध है। साथ ही सफल एवं असफल भुगतान की जानकारी संकुल प्राचार्य के लॉगिन आई.डी पर परिलक्षित हो रही है।

2.5 जिलों में सी.एम.हेल्पलाइन में वर्ष 2018–19 की छात्रवृत्ति भुगतान के प्रकरण लंबित है, जिलेवार वर्ष 2018–19 के लंबित प्रकरणों की अनुमानित संख्या संलग्न है। अतः सफल असफल भुगतान की सूची का परीक्षण कर जिन लंबित प्रकरणों में छात्रवृत्ति का भुगतान हो चुका है। उन प्रकरणों में छात्रवृत्ति भुगतान की स्पष्ट टीप पोर्टल पर दर्ज कराकर प्रकरण का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें एवं प्रतिवेदन ई–मेल के माध्यम से संचालनालय को दिनांक 14 अक्टूबर 2019 तक प्रेषित करें।

अतः उक्तानुसार छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण हेतु बिन्दु क–1.2 एवं 2.5 अनुसार कार्रवाई कर समयावधि में संचालनालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त,
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

क्रमांक / समेकित छा. / आह.वि / 02 / 2019 / 184
भोपाल, दिनांक 9.10.19

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 35 राजीव गांधी भवन श्यामला हिल्स भोपाल।
3. आयुक्त, आदिमजाति कल्याण विभाग द्वितीय तल सतपुडा भवन भोपाल।
4. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र अरेला हिल्स भोपाल ।
5. आयुक्त, पिछडावर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वितीय तल सतपुडा भवन भोपाल।
6. संचालक, विमुक्कत घुमक्कड एवं अर्द्ध. घुमक्कड विकास विभाग राजीव गांधी भवन श्यामला हिल्स भोपाल।
7. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी विध्याचंल भवन भोपाल।
8. श्री सुनील जैन, तकनीकी निदेशक एन.आई.सी विध्याचंल भवन भोपाल।

आयुक्त,
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश